"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 250] रायपुर, सोमवार, दिनांक 30 सितम्बर 2002—आश्विन 8, शक 1924

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 28 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2002

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्र. 23 सन् 1965) को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2002 है.

(2) यह छत्तीसगढ़ राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 8 की उपधारा (ख) के पश्चात् अन्तः स्थापन.

2. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्र. 23 सन् 1965) की धारा 8 की उपधारा (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तः स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"ख ख"—ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं संचालित करना "जो राज्य शासन द्वारा सौंपी जाए."

उद्देश्यों तथा कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यह विनिश्चित किया गया कि 2002 के पी.ई.टी. तथा पी.एम.टी. परीक्षाएं छत्तीसगढ़ शिक्षा मण्डल के माध्यम से गठित की जाएं. किन्तु छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल अधिनियम, 1965 (क्रमांक 25 सन् 1965) की धारा 8 के अनुसार व्यावसायिक परीक्षाओं को संचालित करने की शक्ति छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल को नहीं है अतएव सरकार के विनिश्चय को पूरा करने के लिए उक्त अधिनियम की उक्त धारा में संशोधन करने के लिये यह आवश्यक हो गया कि तत्काल अध्यादेश प्रख्यापित किया जाए जिसे दिनांक 10-6-2002 के राजपत्र में प्रकाशित किया गया. भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) (क) के अनुसार वर्तमान सत्र में विधेयक लाना आवश्यक है.

2. अतएव यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :
दिनांक 22 सितम्बर, 2002

सत्यनारायण शर्मा
भारसाधक सदस्य

उपाबंध

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम-1965 की धारा 8 की उपधारा (ख) में संबंधित प्रावधान निम्नानुसार है :—

धारा 8 (ख) :— ऐसे पाठ्यक्रमों पर आधारित परीक्षाओं का संचालन करना और उसके सहायक समस्त उपाय करना.

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीस॰ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.